

उपलब्धि

जिला-वीरपुर सब डिवीजन (सुपौल)

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार, पटना द्वारा चलन्त न्यायालय (लोक अदालत) आयोजित दिव्यांगजनों की परिवाद का निष्पादन।

दिनांक-31.12.2018

स्थान :- वीरपुर सब डिवीजन में।

क्र०सं०	शिकायत का संक्षिप्त विरण / माँगी गई सुविधायें	कुल निष्पादन
1.	दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	721
2.	दिव्यांगजन को दिव्यांगता पेंशन	156
3.	दिव्यांगजन को पुनर्वास (स्पीच थेरापि, ऑक्युपेशन थेरापि, विशेष शिक्षा)	15
4.	दिव्यांगजन को उपकरण (कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण)	54
5.	दिव्यांगजन को ड्राइविंग लाइसेन्स (सारथी योजना)	47
6.	दिव्यांगजन को जनवितरण प्रणाली (राशन कार्ड एवं पी०डी०स०)	57
7.	दिव्यांगजन को रेलवे कन्सेशन	113
8.	दिव्यांगजन को खेल-कुद (पैराल्पिक, स्पेशल ओलंपिक)	02
9.	दिव्यांगजन को स्वरोजगार ऋण (प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना)	84
10.	दिव्यांगजन को शिक्षा ऋण (डी०आर०सी०सी)	21
11.	दिव्यांगजन को इन्दिरा आवास	53
12.	दिव्यांगजन को प्रताड़ित (कानूनी मुक्त सहायता)	01
13.	दिव्यांगजन को छात्रवृत्ति एवं नामांकन	02
14.	दिव्यांगजन को पहचान पत्र (निर्वाचन)	07
15.	दिव्यांगजन को खादय, बीज आदि	03
16.	दिव्यांगजन को भूमि विवाद या भूमिहीनता संबंधीत	02
17.	दिव्यांगजन के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था / अभिभावक, दिव्यांगजन से संबंधित।	03
18.	अन्य परिवाद-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की किस धारा / कार्यालय आदेश का प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन किया गया है।	22
कुल निबंधन		1,363 / -

(डॉ० शिवाजी कुमार)

राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, सरकार,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।